प्रारूप –1

अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ,
जिला शाखा जांजगीर–चांपा जिला न्यायालय परिसर जांजगीर (छ0ग0)

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 02 / 2024 जांजगीर दिनांक 06 / 09 / 2024

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा जांजगीर–चांपा छ0ग0 की ओर से जिला न्यायालय परिसर जांजगीर में फोटो कॉपियर मशीन के संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति / फर्म से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अनुसंलग्न–1 जो जिला न्यायालय के वेबसाईट https://janjgir.districts.gov.in/ में अपलोड किया गया है तथा स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन / जारी तिथि से दिनांक 20 / 09 / 2024 तक कार्यालयीन दिवस में आवेदन जमा किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु आवेदन सचिव, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा जांजगीर–चांपा स्थान न्यायालय परिसर जांजगीर से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं अथवा वेबसाईट में अपलोड प्रपत्र का प्रिंट लेकर आवेदन किया जा सकता है।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	20 / 09 / 2024 समय शाम 5:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि **(फोटोकॉपी दुकान संचालन हेतु)** सामने दुकान क्र0– 03 पीछे दुकान क्र0– 08	23 / 09 / 2024 समय शाम 5:30 बजे
निविदा खोलने का स्थान	सभा कक्ष, जिला न्यायालय जांजगीर

दिनांक 06 / 09 / 2024
स्थान– जांजगीर

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला शाखा जांजगीर चांपा (छ0ग0)

प्रारूप –2

ANNEXURE-1

आवेदन पत्र का प्रारूप

1– अनुमति हेतु आवेदन पत्र –

(I) फोटोकॉपी मशीन संचालन सामने दुकान कमांक 03 – जिला न्यायालय परिसर

(II) फोटोकॉपी मशीन संचालन पीछे दुकान कमांक 08 – जिला न्यायालय परिसर

▪ जो लागू न हो उसे काटें।

2– आवेदक का नाम –..

3– पूर्ण–पता –..

4– पहचान पत्र –..

(स्व प्रमाणित फोटो कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है)

5– निविदा हेतु बोली की राशि

–..

(मासिक लायसेंस फीस / किराया)

- कृपया बोली की राशि का 25 % अग्रिम राशि के रूप में डिमांड ड्राफट / बैंकर्स चेक के माध्यम से *"अध्यक्ष तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारी संघ जांजगीर "* के नाम पर जमा करें।

अग्रिम के रूप में जमा की गई राशि सफल बोलीकर्ता को छोड़कर अन्य सभी आवेदकों को निविदा खुलने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।

6– डिमांड ड्राफट / बैंकर्स चेक कमांक व दिनांक–..

7– जारीकर्ता बैंक व शाखा का नाम –..

नोटः– आवेदन को आवेदक द्वारा उचित व पूर्ण रूप से भरा जाना आवश्यक है, अपूर्ण रूप से भरे गये आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदक के साथ वैध पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है साथ ही अग्रिम राशि हेतु कंडिका 6 व 7 में उल्लेखित डिमांड ड्राफट / बैंकर्स चेक संलग्न करना अनिवार्य है, अपालन की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

घोषणा पत्र

मै...पुत्र/पुत्री/पत्नि ....यहघोषणा करता/ करती हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई समस्त जानकारी सत्य है, एवं मैं जिला न्यायालय परिसर कैंटीन/फोटोकॉपी संचालन नियम 2017 के सभी शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा गलत जानकारी दी गई है अथवा मेरे द्वारा उक्त नियम के किसी भी कंडिका का उल्लंघन करना पाया जाता है या नियमानुसार नही करना पाया जाता है, तो मेरे अनुबंध को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर......................................

नाम...

प्रारूप –3

अनुसंलग्न–1
(नियम एवं शर्तें)

1– आमंत्रित किये गये निविदा को किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त या परिवर्तित किया जा सकेगा।

2– निविदा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 20/09/2024 को शाम 5:00 बजे तक है।

3– निविदा को नीचे दिये गये पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट/हमदस्त के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

पताः– अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

यथा निर्धारित कार्यालय में जमा किया जायेगा।

4– सभी निविदाऐं समाचार पत्र में प्रकाशित अंतिम तिथि के शाम 5:00 बजे तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। समय सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

5– फोटो कॉपियर मशीन के संचालन हेतु प्राप्त पृथक–पृथक निविदा को क्रम से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के पश्चात् **निविदा विज्ञप्ति में**

दिये गये तिथि/दिनांक अनुसार संघ के अध्यक्ष एवं नियम 2017 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति अथवा उसकी ओर से उपस्थित अभिकर्ता की उपस्थिति में निविदा खोली जायेगी।

6— सभी आवेदन खोलने के पश्चात् सबसे अधिक बोली लगाने वाले आवदेक का आवेदन स्वीकार किया जायेगा व उसे **फोटोकॉपी मशीन चलाने हेतु अधिकार अनुबंध के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।** शेष आवेदकों के द्वारा जमा किया गया अग्रिम राशि यथा संभव 07 दिवस के अंदर वापस कर दिया जायेगा जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति उनसे ली जायेगी। निविदा को खोलने के बाद जो भी उच्चत्म बोली का सफल निविदाकर्ता होगा, की घोषणा पृथक—पृथक किया जायेगा।

नोटः— फोटोकॉपीयर मशीन संचालन हेतु दुकान क्रमांक—03 एवं 08 के लिये पृथक—पृथक निविदा भरा जावे।

7— अ. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास फोटोकॉपीयर मशीन को चलाने के अनुबंध को किसी भी समय कोई पूर्व सूचना दिये बिना निरस्त करने का अधिकार संरक्षित रहेगा।

ब. फोटोकॉपीयर मशीन संचालक भी किसी भी समय 45 दिवस के पूर्व सूचना देकर अनुबंध का परित्याग कर सकता है।

8— किसी विवाद की स्थिति मे जिला न्यायाधीश के अनुमोदन पश्चात् समिति का निर्णय अंतिम होगा।

9— जिस आवेदक की बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली की राशि का शेष 75% सात कार्य दिवस के भीतर डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर्स चेक के माध्यम से संघ **छत्तीसगढ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा जांजगीर** के नाम पर जमा करना होगा, असफल रहने की दशा में आवदेनकर्ता द्वारा आवेदन के साथ जमा की गई अग्रिम राशि को राजसात कर लिया जायेगा। सफल बोलीकर्ता को बोली की सम्पूर्ण राशि जमा करने के उपरांत ही

फोटोकॉपीयर मशीन संचालन हेतु अधिकृत किया जायेगा। संघ के अध्यक्ष के द्वारा प्राप्त राशि को संघ के खाता में जमा करना होगा।

10— फोटोकॉपीयर मशीन संचालक के द्वारा विद्युत बिल, पानी का बिल व अन्य मेन्टेनेंस हेतु देय राशि अदा करना होगा।

11— फोटोकॉपीयर मशीन संचालक द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क/दो माह का किराया अग्रिम तौर पर संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा। यह दर 31 मार्च तक प्रचलित होगा, इसके बाद किराया फोटोकॉपीयर मशीन निविदा राशि का 5% प्रतिवर्ष बढ़ाया जायेगा। कैंटिन संचालक को मासिक किराया हर माह की 10 तरीख तक संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा अगर फोटोकॉपीयर मशीन संचालक नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो गठित समिति द्वारा फोटोकॉपीयर मशीन संचालक को सूचना देते हुये उसके अनुबंध को समाप्त कर सकेगा।

12— फोटो कॉपीयर मशीन का संचालन माननीय प्रधान जिला एवं न्यायाधीश महोदय द्वारा जिला न्यायालय परिसर में उपलबध कराये गये स्थान पर सफल निविदाकर्ता द्वारा अपने स्वयं की फ़ोटोकॉपी मशीन संस्थापित करेगा, साथ ही उक्त फोटाकॉपी मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति स्वयं करेगा एवं स्वयं ही उसका भुगतान भी करेगा।

13— फोटो कॉपीयर मशीन का संचालनकर्ता केन्टीन के रहते हुए खाद्य पदार्थो एवं पेय पदार्थो तथा बीड़ी सिगरेट तंबाकू, पाउच की बिक्री नहीं करेगा और ना ही कोई सामान रखेगा।

14— निविदा एक बंद लिफाफे में होगा, लिफाफे के बाहर अंदर रखे दस्तावेज का विवरण अभिलिखित किया जाना होगा।

नोटः— लिफाफे के बाहर फोटोकॉपीयर मशीन संचालन हेतु दुकान क्रमांक 03 एवं 08 का उल्लेख करना अनिवार्य है।

15— निविदाऐं जो निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होंगे उन्हें खोला नही जायेगा और वापस कर दिया जायेगा। ऐसी निविदाओं को वापस किये जाने का दिन एवं समय की जानकारी मोहरबंद लिफाफे में उल्लेखित होगी।

16— निविदाकर्ताओं का फर्म का पता उल
लेखित करना होगा।

17— न्यूनतम बोली राशि प्रति माह की दर से

— फोटो कॉपियर मशीन संचालन हेतु सामने की दुकान कमांक 03 मासिक राशि 4000/—(चार हजार रूपये मात्र) की राशि संघ द्वारा निर्धारित की गई है।

— फोटो कॉपियर मशीन संचालन हेतु पीछे की दुकान कमांक 08 मासिक राशि 2000/—(दो हजार रूपये मात्र) की राशि संघ द्वारा निर्धारित की गई है।

18— अपरिहार्य कारणों से निविदा निरस्त किये जाने की अधिकार संचालन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला शाखा जांजगीर—चांपा (छ0ग0)